

अनुबंध-4

पेंशन के लिए आवेदन पत्र

बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2006

(विधान मंडल के पूर्व सदस्य/सदस्या द्वारा तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाना चाहिए)

प्रेषक,

श्री/श्रीमती/कुमारी.....

पूर्व सदस्य/सदस्या, बिहार विधान परिषद्।

(यहां यह उल्लेख कीजिये कि पिछली बार विधान सभा या विधान परिषद् के सदस्य थे)

सेवा में,

सभापति महोदय,

बिहार विधान परिषद्।

विषय:- बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 2006 को धारा-8 एवं बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) नियमावली-2006 के अंतर्गत पेंशन को स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त अधिनियम एवं नियमावली के अंतर्गत मुझे निम्नलिखित अवधि ने बिहार विधान सभा/परिषद् का सदस्य/सदस्या रहने के कारण पेंशन पाने का हक है:

- I. विधान सभा की सदस्यता-अवधिसे..... तक
- II. विधान परिषद् की सदस्यता-अवधिसे..... तक

2. मैं अपना पेंशन..... कोषागार से लेना चाहता हूँ।

3. मैं इसके साथ प्रथम श्रेणी के दण्डाधिकारी केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा सत्यापित निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करता/करती हूँ।

I. तीन नमूना हस्ताक्षर।

II. पति-पत्नी का तीन नवीनतम फोटो।

4. वर्तमान पता :

स्थायी पता :

5. जन्म तिथि:

6. पहचान का चिह्न: (I)

(II)

7. ऊंचाई:

8. पति/पत्नी का नाम :

9 मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ कि :

- I. मैं राष्ट्रपति या उप राष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित या किसी राज्य के राज्यपाल या किसी सप राज्य क्षेत्र के प्रशासक के पद पर नियुक्त नहीं हूँ।
- II. मैं संसद के किसी सदन या किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की विधान सभा अथवा किसी राज्य के विधान परिषद्का सदस्य/सदस्या नहीं हूँ।
- III. मैं केन्द्र सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा केन्द्र सरकार अथवा किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकार या किसी प्राधिकार या किसी व्यक्ति द्वारा स्वाधिकृत या नियंत्रित किती निगन के अधीन बेतन पर नियोजित नहीं हूँ और ऐसी सरकार या निगम या स्थानीय प्राधिकार से कोई पारिश्रमिक पाने का हकदार नहीं हूँ।
- IV. मैं दिनांक..... से..... के पद पर कार्य कर रहा रही हूँ अथवाका सदस्य/सदस्या हूँ अथवा.....
.....मै नियुक्त हूँ और मुझे.....
.....रुपये प्रतिमाह कुल पारिश्रमिक मिलता है।
(सक्षम अधिकारी से प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाना चाहिए।)

अतः अनुरोध है कि पेंशन स्वीकृति संबन्धी कार्रवाई की जाए।

भवदीय,

(पूर्व सदस्य/सदस्या का हस्ताक्षर)

नाम (साफ-साफ अक्षरों में):

पता :
.....
.....

क्षेत्र का नाम :

क्षेत्र का जिला :

घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र भूतपूर्व विधान मंडल सदस्य /सदस्या द्वारा अपने पेंशन विपत्र के साथ वर्ष में दो बार मई और नवंबर माह में कोषागार में देना होगा। पेंशन स्वीकृति के समय इसे महालेखाकार कार्यालय, बिहार पटना को भी जमा करना होगा।)

मैं श्री / श्रीमती..... घोषणा करता / करती हूँ कि :

1. मैं राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति पद पर नहीं चुना गया / गयी और न ही किसी राज्य के राज्यपाल प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया / गयी हूँ। पूर्व में इन पदों पर नहीं था / थी।
2. मैं राज्य सभा / लोक सभा अथवा किसी अन्य राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं हूँ। पूर्व में भी इन पदों पर नहीं था / थी।
3. मुझे किसी भी अन्य श्रोत से वेतन / पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है और न ही मैं अन्य श्रोत से वेतन/ पारिश्रमिक पाने का हकदार हूँ।
4. मैं किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ। कार्यरत था / नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
5. मुझे(संस्थान का नाम) से वेतन अंके..... मिल रहा है।
6. मुझे(संस्थान का नाम) से अभी वेतन नहीं मिल रहा है किन्तु अंके रूपया देय हैं।
7. मैंने मोटर कार अग्रिम नहीं लिया है। अतः इस मद में कुछ भी बकाया नहीं है।
8. मैंने अभी मोटर कार अग्रिम अंकेरूपया लिया था शेष अंके रूपया बकाया है, जिसका समायोजन कर लिया जाय।
9. इस पेंशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन/ पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद/ किसी विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित/ मनोनीत होने पर बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पेंशन को लेना बन्द कर दूंगा/ दूंगी।

हस्ताक्षर

पेंशनधारी का नाम :

पता :

नोट : जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।

घोषणा पत्र

(टिप्पणी:- यह घोषणा पत्र भूतपूर्व विधान मंडल सदस्य /सदस्या द्वारा अपने पेंशन विपत्र के साथ वर्ष में दो बार मई और नवंबर माह में कोषागार में देना होगा। पेंशन स्वीकृति के समय इसे महालेखाकार कार्यालय बिहार पटना को भी जमा करना होगा।)

मैं श्री / श्रीमती..... घोषणा करता / करती हूँ कि :

1. मैं राष्ट्रपति / उपराष्ट्रपति पद पर नहीं चुना गया / गयी और न ही किसी राज्य के राज्यपाल प्रशासक के पद पर नियुक्ति किया गया /गयी हूँ। पूर्व में इन पदों पर नहीं था / थी।
2. मैं राज्यसभा / लोकसभा अथवा किसी अन्य राज्य के विधान मंडल का सदस्य नहीं हूँ। पूर्व में भी इन पदों पर नहीं था / थी।
3. मुझे किसी भी अन्य श्रोत से वेतन / पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है और न ही मैं अन्य श्रोत से वेतन/ पारिश्रमिक पाने का हकदार हूँ।
4. मैं किसी भी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय में कार्यरत नहीं हूँ। कार्यरत था/ नहीं था एवं किसी महाविद्यालय / विश्वविद्यालय से मुझे वेतन नहीं मिल रहा है।
5. मुझे(संस्थान का नाम) से वेतन अंके..... मिल रहा है।
6. मुझे(संस्थान का नाम) से अभी वेतन नहीं मिल रहा है किन्तु अंकेरूपया देय हैं।
7. मैंने मोटर कार अग्रिम नहीं लिया है। अतः इस मद में कुछ भी बकाया नहीं हैं।
8. मैंने अभी मोटर कार अग्रिम अंकेरूपया लिया था शेष अंके रूपया बकाया है, जिसका समायोजन कर लिया जाय।
9. इस पेंशन की स्वीकृति के बाद अन्य किसी भी श्रोत से अगर वेतन/ पारिश्रमिक मिलेगा अथवा सांसद/ किसी विधान मंडल का सदस्य निर्वाचित/मनोनीत होने पर अथवा विवाह हो जाने की दशा में बिहार विधान मंडल सदस्यों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन नियमावली के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले पारिवारिक पेंशन को लेना बन्द कर दूंगा/ दूंगी।

हस्ताक्षर

पेंशनधारी का नाम :

पता :

नोट : जो लागू नहीं हो उसे काट दिया जाय।